राजस्थान सरकार

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांकः–प(वि) प्रशासन / निकाशि / सम्पर्क / 2021 / 3257 दिनांकः– 8.1.2021

परिपत्र

विषयः–राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के अन्तर्गत निदेशालय स्तर–I व II के पदाधिकारी द्वारा स्वयं की Activated SSO–ID (16 अंक) से परिवेदना–निस्तारण की त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मुख्यमंत्री–हैल्पलाईन (181) / सम्पर्क–पोर्टल पर प्राप्त परिवेदनाओं पर सतत् विभागीय–क्रियान्वयन हेतु निम्न दिशा–निर्देश परन्तु प्रभाव से जारी किये जाते हैंः–

1. प्रत्येक महाविद्यालय स्तर–I से प्राचार्य व्यक्तिशः निजी Activated SSO–ID (16 अंक) से सतत् परिवेदना–निस्तारण समयबद्ध रूप से करें।
2. विभागीय स्तर–II से सहायक–निदेशक अपने क्षेत्रीय–कार्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालयों के स्तर–I पर प्रदर्शित परिवेदनाओं का निधारित समयावधि–पूर्व गहनता से विश्लेषण करें और निस्तारण–कार्यवाही सम्पादित करवाने हेतु नियमित मॉनिटरिंग करें व परिवाद समय सीमा के पश्चात स्वतः उपरी स्तर पर अग्रेषित हो जाते हैं। अतः परिवाद का निस्तारण समय सीमा में ही करना सुनिश्चित करें।
3. सहायक–निदेशक, क्षेत्रीय–कार्यालय अपनी SSO–ID से ही, स्तर–II पर प्राप्त शिकायत के विषय, प्रार्थी के संवाद व पूर्व कार्यवाही–प्रक्रिया विवरण का सूक्ष्म परीक्षण करें। निष्पादन पूर्ण करने हेतु यथासंभव संबंधित प्राचार्य व प्रार्थी से सहजतापूर्वक दूरभाष वार्ता कर स्पष्ट ऑनलाईन–प्रत्युत्तर इन्द्राज करें।
4. **सम्पर्क–पोर्टल के विभागीय–डैशबोर्ड पर अनिवार्यतः एक SSO–ID केवल एक बार ही मैप होगी। विभागीय–डैशबोर्ड पर किसी भी स्तर की ऑनलाईन–उपस्थिति में बदलाव कराने हेतु रीमैपिंग की अद्यतन–कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करावें।**
5. **रीमैपिंग की अद्यतन–कार्यवाही निदेशालय के प्रशासन–अनुभाग द्वारा पदाधिकारी की Activated SSO–ID द्वारा ही सम्पन्न होगी। इस हेतु दि0 12.01.2021 से पूर्व cmhelplinecolledu @gmail.com पर Activated SSO–ID सहित सम्पूर्ण विवरण प्रेषित करें।**
6. आवश्यकता होने पर SSO–ID का Activation निम्नानुसार करेंः–

1. SSO-ID अपने पासवर्ड से Log-in करें। 2. Update/ Edit Profile पर क्लिक करें। 3. पूरी Profile Check करें।	4. निजी ईमेल व मोबाईल नम्बर feed करें। 5. Link करने हेतु आपके निजी ईमेल पर आये OTP को Submit करें।

7. ज्ञातव्य रहे कि प्राचार्य–पद रिक्त होने पर कार्यवाहक–प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय के सम्पर्क–पोर्टल पर मुख्यमंत्री हैल्पलाईन संचालित होगी। अतः कार्यवाहक प्राचार्य आयुक्तालय को अपनी SSO-ID रीमैपिंग के लिए भेजे।
8. सेवानिवृत होने वाले प्राचार्यों का कार्यभार–निर्वहन जिन वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा किया जावेगा, उनका व्यक्तिशः दायित्व है कि अपनी Activated SSO–ID से नियमित ऑनलाईन–कार्यवाही सम्पन्न करेंगे।
9. किसी भी स्तर पर परिवदनाओं के निस्तारण में विलम्ब होने की स्थिति संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा जावेगा।
10. परिवेदना–निस्तारण–प्रक्रिया यथासंभव समाधानपूर्वक निष्पादित करें व लम्बित प्रकरणों की संख्या न्यूनतम स्थिति में लाने हेतु त्वरित कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

उक्त दिशा निदेर्शों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

08/01/2021
(संदेश नायक IAS)
निदेशक, कॉलेज शिक्षा
राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक–प.(वि)प्रशा0 / निकाशि / सम्पर्क / 2021 / 3257 दिनांकः– 8.1.2021

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1– समस्त प्राचार्यगण, राजकीय महाविद्यालय / विधि महाविद्यालय / कन्या महाविद्यालय / राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स / राजस्थान संगीत संस्थान, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2– सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर / कोटा / जोधपुर / अजमेर / बीकानेर उदयपुर / भरतपुर ।
3– वेब साईट प्रभारी, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।
4– आरक्षी पत्रावली ।

8.1.2021
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।